International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 765-766

भारत में पचायती राज प्रणाली और महिलाओं की भागीदारी

विजय कुमार मिश्र
सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, मंगला देवी स्मारक डिग्री कालेज, मसिका नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

भारत को गावों का देश कहा जाता है जहां आज भी 70 प्रतिशत आबादी निवास करती है और आज देशभर में लगभग ढाई लाख ग्राम पंचायतें निरंतर भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। महात्मा गांधी से पहले और उसके बाद भी ग्रामीण विकास के लिए निरंतर काम होते रहे हैं लेकिन गांधीजी ने एक दार्शनिक की तरह इस विचारधारा को विश्व के समक्ष रखा इसीलिये वो मील के पत्थर की तरह है और उनका ग्राम स्वराज दशकों बाद भी इतना ही प्रासंगिक है। क्योंकि इसमें गांवो की आत्मनिर्भरता की बात है, उनके सशक्तीकरण की बात है, शोषण के विरूद्ध एक ठोस नीति की बात है। भारत में पचायती राज प्रणाली दुनिया मं ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का अनोखा और एकदम नायाब उदाहरण है। इसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकन्द्रीकरण होता है और प्राथमिकताओं का स्वयं निर्धारण करने का अवसर प्रदान करती है। हमारी ग्रामीण आबादी का करीब आधा हिस्सा महिलाओं का है। ये लोग पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण घटक हैं। लेकिन सच तो यह है कि 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद पंचायतों में उनकी वास्तविकत भागीदारी एक ऐसा लक्ष्य बना हुआ है जो पूरा नहीं हो पाया है। इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महिला सरपंचों को प्रशिक्षण देने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रारंभ किया है ताकि वे अपने गांवों में नेतृत्व की भूमिका सही तरीके से निभा सकें। यहां आगे हम भारत में पंचायती राज संस्थाओं के कानूनी ढांचे आरै इसमें महिलाओं के स्थान पर चर्चा करेंगे।

संविधान का अनुच्छेद 40: इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिश्ठापित किया गया है और व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिये कदम उठायेगा और उन्हें ऐसे अधिकार और शक्तियां देगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में सुचारू रूप से कार्य करने में सक्षम बनाने के लिये ज़रूरी हैं। इसके अनुपालन में कई राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया, लेकिन उनके कामकाज में बहुत–सी कमियां नजर आई। इनके चुनाव नियमित रूप से आयोजित नही किये जाते थे और आमतौर पर उनके पास कोई वास्तविक शक्तियां या विकास संबंधी भूमिकाएं नहीं थीं। इसलिये यह महसूस किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को कुछ अनिवार्य विशेषताओं से युक्त बनाने के प्रावधानों को संविधान में शामिल किया जाये ताकि उनमें निश्चितता, निरंतरता और शक्ति का संचार हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 अस्तित्व में आया।

'ग्राम स्वराज' के सपने को पूरा करने के लिए पूरे देश में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों का गठन किया गया। भारतीय सवंधिान में पंचायतों को विशेष महत्व देते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेख किया गया है– ''सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठायेगी एवं उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकारों से युक्त करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त हो।'' उपरोक्त पंक्तियों में गांधी जी के ग्रामीण सशक्तीकरण के सपनों को धरातल पर उतारने की झलक साफ देखी जा सकती है।

स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की स्थापना भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार गांधीजी के सपनो के भारत की शुरूआत हुई जब 1959 में यहां पर पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू की गई।। इस दौर का भारत वर्तमान भारत से बहुत अलग था। आज़ादी मिले एक दशक हो चुका था लेकिन घोर गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, महामारी, अंधविश्वास, जात–पात, छुआछुत जैसी असंख्य बीमारियां गांव के रग–रग में बस चुकी थी। महिलाओं और बच्चियों की दुर्दशा का वर्णन करना भी कठिन है। ऐसे में पंचायती राज एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा। पंचायती राज का उद्देश्य गांवों को स्वावलंबी बनाना था।

केन्द्र या राज्यों की योजनाएं तभी सफल हो सकती हैं जब पंचायतें इसे पूरे मनोयोग से लागू करें। ग्राम पंचायतें अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से गांव में विकास समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति समेत अनेक समितियां होती हैं जो ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों की देखरेख करती हैं। अगर यह ग्राम पंचायत के कामों को देखें तो इनके अधिकार क्षेत्र में ग्राम विकास संबंधी अनेक कार्य हैं जैसे कृषि, पशुधन, युवा कल्याण, चिकित्सा, रखरखाव, छात्रवृत्तियां, राशन की दुकानों के आवंटन जैसे छोटे–बड़े बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे है जिसके लिए उन्हें किसी और का मुंह नहीं ताकना होता है।

सामाजिक अभियानों में पंचायतों की भागीदार

स्वच्छ भारत अभियानों का असर देशव्यापी पूरी दुनिया ने देखा। 60 प्रतिशत भारतीय 02 वर्ष पूर्व तक खुले में शौच कर रहा था लेकिन पंचायतों ने विभिन्न जन–जागृति अभियानों के माध्यम से गांवों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इसी का नतीजा है कि आज घर–घर शौचालय है। स्वच्छ ईंधन की दिशा में हम बहुत आगे तक आ चुके हैं। निसंदेह इसके लिये पंचायते न्यायवाद का पात्र हैं।

आज शिक्षा का अधिकार कानून के तहत हर गांव में स्कूलों का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। उसमें भी पंचायतों की बड़ी भूमिका है जिसकी देखरेख में ये योजनाएं फलफूल रही हैं। मनरेगा के तहत पंचायतों को ना केवल ग्रामीणों को सौ दिन रोजगार देने का अधिकार प्राप्त हुआ बल्कि इसके माध्यम से अनेक निर्माण

कार्य–क्या होना है कहां होना है ये हक भी मिला।

73वां संविधान संशोधन और भारत में पचायती राज

73वें संशोधन से संविधान में एक नया खंड प जोड़ा गया जिसका शीर्षक है ''पंचायतें''। इसमें अनुच्छे 243 से 243 (ओ) के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इसके अलावा एक नई 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई जिसके तहत पंचायतों के कार्यों के दायरे में 29 नये विषयों को शामिल किया गया है।

इस संशोधन के जरिये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों संबंधी अनुच्छेद 40 पर अमल शुरू हुआ है। लेकिन राज्यों को इस बात की पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी भैगोलिक, राजनीतिक–प्रशासनिक एवं अन्य स्थितियों को ध्यान में रखकर पंचायती राज प्रणाली अंगीकार करें।

महिलाओं के लिये आरक्षण

जहां संविधान का 73वां संशोधन इस बात का अधिकार देता है कि पंचायतों की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हों, वहीं देश में कम से कम पांच राज्य ऐसे हैं जिन्होंने पंचायतों में महिलाओं के लिये आरक्षण का अनुपात 50 प्रतिशत तक कर दिया है। बिहार ऐसा पहला राज्य था जिसने 2006 में इसका प्रावधान किया। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी इसी तरह का प्राधान करने को आगे आये और उन्होंने महिलाओं के लिये आरक्षण बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया। सिक्किम ने इसे 40 प्रतिशत रखा है।

73वें संविधान संशोधन अनिधिनियम की अन्य विशेषताएं

त्रि–स्तरीय पंचायत प्रणाली। (20 लाख तक की आबादी वाले राज्यों बीच के स्तर को छोड़ कर दो–स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था करने की इजाजत दी गई हे।)

पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होगा।

ग्रामसभा की मतदाता सूचियों में पंजीकृत सभी लोग इसके सदस्य होंगे।

पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से 17 अप्रैल, 2017 को देशभर में महिला पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता के निर्माण और महिला पंचायत नेताओं के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के बारे में एक विस्तृत मॉड्यूल शरू किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों के शासन और प्रशासन के क्षेत्र में पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं, दक्षताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अधिकार संपन्न बनाना है।

महिलाओं की भागीदारी

पिछले कुछ वर्षों में महिलाएं भी ग्राम पंचायत–स्तर पर काफी सक्रिय हुई हैं। हालांकि ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि कई गांवों में आज भी महिला सरपंचों के पति उनकी जगह पर सत्ता की बागडोर संभालते हैं लेकिन इसके बावजूद कई गांवों में महिलाओं की भूमिका मजबूत होने से माहौल बेहतर हुआ है और लड़कयों के प्रति भेदभाव के रवैये की घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। देश के कई राज्यों में गांवों का नेतृत्व अब कुछ ऐसे पढ़े–लिखे हुनरमंद लोगों के हाथों में है जो किसी मल्टीनेशलन कंपनी तक को चलाने का हुनर रखते हैं। राजस्थान में एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल छवि राजावत ने ग्रामसभा में प्रबंधन की मिसाल दुनिया के सामने पेश की है। ऐसे लोग न सिर्फ नये विचार और उपाय गांवों में ला रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया जैसे नये माध्यमों का इस्तेमाल कर दुनिया से सीधे जुड़ भी रहे हैं।

संदर्भ

1. India. Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 2007, p. 696.
2. Singh Vijandra. Chapter 5: Panchayate Raj and Gandhi. Panchayati Raj and Village Development:, Perspectives on Panchayati Raj Administration. Studies in public administration. New Delhi: Sarup & Sons, 2003; 3 pp. 84-90.
3. Mitra Subrata K. Making Local Government Work: Local elites, Panchayati raj and governance in India, in Kohli, Atul (ed.). The Success of India's Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
4. Sharma Manohar Lal. Gandhi and Democratic Decentralization in India. New Delhi: Deep and Deep Publications, 1987.
5. Jain Devika. Panchayati Raj: Women Changing Governance, 1996.
6. Laxmikanth M. Indian Polity for Civil Service Examinations, 4th Edition, McGraw Hill Education (India) Private Limited, New Delhi, 2013; pp. 34.6-34.7.
7. Sisodia RS. Gandhiji's Vision of Panchayati Raj. Panchayat Aur Insan. 1971; 3(2):9-10.
8. Sharma Manohar Lal. Gandhi and Democratic Decentralization in India. New Delhi: Deep and Deep Publications, 1987.
9. Shourie Arun. Individuals, Institutions, Processes: How one may strengthen the other in India today. New Delhi, India: Viking, 1990.
10. Ministry of Panchayati Raj, Government of India Uplaonkar. Empowerment of Women, Mainstream. A2005; 43(12):19-21.
11. India. Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 2007, p. 696.
12. Mitra Subrata K. Making Local Government Work: Local elites, Panchayati raj and governance in India, in Kohli, Atul (ed.). The Success of India's Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.